

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1374-चार/2008 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक
25-10-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
- प्रकरण क्रमांक 351/2007-08 अपील

1- रमाकांत 2- बीरेन्द्र कुमार

पुत्रगण रघुवरदीन

3- महिला बुटान पत्नि रघुवरदीन पटैल

ग्राम किरहाई तहसील अमरपाटन

जिला सतना मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

विरुद्ध

1- लक्ष्मण पटैल पुत्र जागेश्वर

2- महिला पंचुलिया पत्नि श्यामसुन्दर

3- रामदेव पुत्र रामेश्वर पटेल

4- गंगादीन 5- हनुमानदीन 6- महेश

7- सुदर्शन पुत्रगण श्यामसुन्दर पटैल

8- मंगलदीन पुत्र मोहन पटैल

9- रामकुमार पुत्र ईश्वर दीन पटैल

10- रामगोपाल 11- रामसजीवन पुत्रगण नर्वदा पटैल

12- दशरथ पुत्र रामेश्वर पटैल सभी निवासी ग्राम

किरहाई तहसील अमरपाटन जिला सतना

—अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)

U

आ दे श

(आज दिनांक 08-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.क.
351/07-08 अपील में पारित आदेश दि 025-10-08 के विरुद्ध म0प्र0 भू
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।
प्रकरण का सारोँश यह है कि उभय पक्ष द्वारा धारित भूमियों का

बटवारा/नामान्तरण राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कठरा तहसील अमरपाटन ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4, 5, 6 पर आदेश दिनांक 24-7-87 से कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 243/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2007 से अपील स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 24-7-87 निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्णय दिया :-

“ अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी क० 4,5, व 6 में पारित आदेश दिनांक 24-7-87 को निरस्त किया जाता है, अपील स्वीकार की जाती है, तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमियों को रिस्पा. क. 1 रामदेव तनय रामेश्वर पटेल, रिस्पा. क. 11 दशरथ तनय रामेश्वर पटेल, रिस्पा. क. 12 मुस. सेवा रघुवरदीन, रिस्पा. क. 13 रमाकान्त पिता रघुवर दीन, रिस्पा. क. 14 वीरेन्द्र कुमार तनय रघुवरदीन का नाम प्रश्नाधीन भूमियों में जहां जहां अंकित हो, निरस्त कर उनकी जगह अपीलांट लक्षण पटेल तनय जागेश्वर पटेल सा. किरहाई का नाम दर्ज किया जाय। पक्षकारों के पास यदि कोई बैधानिक स्वत्व अंतरण से संबंधित दस्तावेज हो तो नये सिरे से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमानुसार नामान्तरण का आवेदन कर सकते हैं।”

अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.क. 351/07-08 अपील में पारित आदेश दि० 25-10-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कठरा तहसील अमरपाटन ने उभय पक्ष द्वारा धारित सहखाते की भूमियों का बटवारा/नामान्तरण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4, 5, 6 पर

आदेश दिनांक २४-७-१९८७ से किया है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७८ एंव ११० में राजस्व निरीक्षक को नामान्तरण सह विभाजन की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। संहिता की धारा १७८ के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है कि नामांत्रण पंजी पर पक्षकारों के बीच बटवारा स्वीकृत किया जावे, क्योंकि बटवारे हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन द्वारा अधिकारिता-विहीन कार्यवाही की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आदेश दिनांक २३-११-२००७ से निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क. ३५१/०७-०८ अपील में पारित आदेश दि० २५-१०-०८ से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक २३-११-०७ के अंतिम पद में दिये गये निर्णय से परिलक्षित है कि पीढ़ित पक्षकारों को विधिपूर्वक हक अर्जन पर सक्षम व्यायालय में नामान्तरण / बटवारे का आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक २३-११-०७ में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दि० २५-१०-०८ में लिये गये समर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.क. ३५१/०७-०८ अपील में पारित आदेश दि० २५-१०-०८ उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।



(एस०एस०अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर